कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

विज्ञापन

क्रमांक   अम्बिकापुर, दिनांक   जनवरी,   2010

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि– 23 फरवरी 2010, संध्या 5.00 बजे तक

अम्बिकापुर न्यायिक जिला स्थापना के अन्तर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीद्वारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

<u>रिक्त पदों का विवरण</u>

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
		अ0ज0जा0				अ0जा0				अ0पि0वर्ग				समान्य वर्ग			
		पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
स्टेनोग्राफर	12	04	02	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03	01	–	–
सहायक वर्ग 3	43	19	10	03	02	03	01	–	–	–	–	–	–	02	02	01	–

<u>टीप</u> :- आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी की जा सकेगी।

<u>भर्ती की पात्रता एवं शर्तें</u>

(1) <u>स्टेनोग्राफर के पद के लिए</u> -

अ- <u>वेतनमान</u> वेतन बैण्ड रूपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रूपये 2800/-

ब- **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

3. किसी विश्वविद्याालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा [PGDCA].

(2) **सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए** -

अ- वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रूपये 1900/-

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

3. किसी विश्वविद्याालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा [PGDCA].

महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2010 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

3 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

3 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

3 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>**स्पष्टीकरण**</u> :- *छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।*

3 (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आय सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा

रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3 (दो)(1)- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3 (दो)(2)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(3)- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

<u>टीप</u> :- (1) बिंन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण</u> :- *यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हों, तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।*

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णत: भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ0ग0) के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 23 फरवरी 2010 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

2- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4- आवेदन पत्र के साथ अलग से एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया

1- उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों पर तीन गुना तक अभ्यर्थी प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगें, इसमें न्यूनतम cut-off अंक पाने वाले एक से अधिक उम्मीद्वार होने की स्थिति मे यह संख्या तीन गुना से अधिक भी हो सकती है। लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

2- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

3- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को होगा।

4- चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5- चयनित उम्मीद्वार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीद्वारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

6- चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

7- चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

प्रथम भाग-लिखित परीक्षा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसके सभी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल दो घंटे की होगी।

द्वितीय भाग-प्रायोगिक परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के तीन गुना उम्मीद्वारों को स्टेनोग्राफर, एवं सहायक ग्रेड-3 के पद के संबंध में हिन्दी शीघ्रलेखन, हिन्दी मुद्रलेखन और कम्प्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा क लिए आमंत्रित किया जावेगा। दो उम्मीद्वारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरीयता दी जावेगी, यदि आयु भी समान होगी, तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीद्वार को वरिष्ठता दी जाएगी। हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के लिए न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जावेगा, जिसका अनुवाद कर समय-सीमा

में शुद्धता से टाईप करना होगा। लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के उम्मीद्वार के प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु श्रेणी/वर्गवार मेरिट-लिस्ट तैयार की जाएगी।

प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निम्नानुसार पूर्णांक रहेंगे :-

<u>स्टेनोग्राफर</u> -

01.	डिक्टेशन	-	50 अंक
02.	टायपिंग	-	25 अंक
03.	कम्प्यूटर	-	25 अंक

<u>सहायक ग्रेड-3</u> -

01.	टायपिंग	-	50 अंक
02.	कम्प्यूटर	-	50 अंक

यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक चयनित अंतिम उम्मीद्वार, जो दोनों लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो। उपरोक्त दोनों परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीद्वारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीद्वारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीद्वार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

<u>अन्य आवश्यक सूचनाएं</u>

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगें। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 26.02.2010 को चस्पा कर दी जाएगी। **<u>जिन आवेदकों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे वे उसकी सूचना स्वयं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखकर कार्यालय में स्वत: उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे उन्हें पृथक से डाक द्वारा प्रवेश-पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा।</u>**

डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान पर प्रात: 09.00 बजे उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। दिनांक 26.02.2010 को जिला न्यायालय परिसर सरगुजा (अम्बिकापुर) में उम्मीद्वारों को रोल नंबर एवं परीक्षा स्थल की जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

(स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु)

आवदेक स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

1. आवेदित पद का नाम ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी ब्लाक लेटर्स में) ....

3. लिंग- पुरूष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2 [ ]

4. पिता/पति का नाम ....

5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....

   (हिन्दी में) ....

   ....

   ब) स्थायी पता ....

   ....

   ....

6. अ) जन्म तिथि - अंको में [| | | | | | |]

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 1/1/2010 को आयु:- वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं [ ]
    (यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत [ ]

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक [ ] दिनांक [ ]

14. रोजगार कार्यालय का नाम ....

15. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं [ ]

16. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि [ ]

17. जीवित बच्चों की संख्या [ ]

क्रं0	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक /पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूॅं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

प्रारंभिक चयन परीक्षा:– स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–3

अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज छायाचित्र बिना अभिप्रमाणित कराये चस्पा करें।

आवेदित पद का नाम :–

अभ्यार्थी का नाम :–

पिता/पति का नाम :–

वर्ग :–
(अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

<u>कार्यालयीन उपयोग हेतु</u>

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक –
परीक्षा केन्द्र का नाम –

परीक्षा का दिनांक –
परीक्षा का समय –

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. *परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।*
2. *परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें।*
3. *परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*
4. *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं*
5. *परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा–कक्ष में पर्यविक्षक के समक्ष ही करें।*